भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4988

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

ईपीएफ और ईएसआई लाभार्थियों के लिए ऊपरी सीमा

†4988. **श्रीमती माला राय:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) लाभार्थियों की ऊपरी सीमा को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवरेज हेतु वेतन सीमा में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000/-रुपये प्रति माह है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए यह 21,000/-रुपये प्रति माह है।

वेतन सीमा में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों और उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श क आधार पर की जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव कर्मचारियों के शुद्ध वेतन और नियोक्ताओं की भर्ती लागत पर पड़ता है।
